# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0पी0 सं0– 13/2005–06

सुनील मरांडी ..... आवेदक

बनाम

अनवारी बीबी एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

27/05/2016

यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0– 13/2005–06 सुनिल मरांडी बनाम् अनवारी बीबी एवं अन्य के बीच मौजा पिंडरगड़िया के जमाबन्दी सं0 13 के अन्तर्गत दाग सं0 1474(अंश) एवं 1476(अंश) में पेट्रोल पम्प निर्माण एवं कृषि योग्य भूमि को व्यवसायिक रूप में परिवर्त्तित करने से संबंधित है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक 31.01.2007 को कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु दी गई अनुमति और सरकार के स्तर से इस संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन हेतु अपर समाहर्त्ता, दुमका की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किये जाने का आदेश दिया गया था किन्तु उक्त आदेश के आलोक में अबतक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। वाद काफी लम्बे समय से लंबित है। फलतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

वस्तुतः यह आवेदन आवेदक द्वारा सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 13(1)(b) तथा 20(1)(2) के अन्तर्गत दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि मौजा पिंडरगड़िया के दाग सं0 1474(अंश) एवं 1476(अंश) गत गैंजर सर्व खतियान में चुरू मियाँ के नाम से दर्ज है जिसका वर्त्तमान वारिशान अनवारी बीबी एवं तीन पुत्र जीवित है। यह भूमि कृषि योग्य एवं अहस्तान्तरणीय है। उक्त भूमि पर पैट्रोल पम्प का निर्माण किया गया है जो सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 13(1)(b) तथा 20(1)(2) के विरूद्ध है। अतः इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

इस पर पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा के पत्रांक 16/रा0 दिनांक 16.01.2007 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि प्रश्नगत दाग सं0 1474(अंश) एवं 1476(अंश) भूमि पर पैट्रोल पम्प का निर्माण खतियानी रैयत चुरू मियाँ के पुत्र इफराम अली एवं अनिल पटवारी दोनों मिलकर बना रहें है। इस भूमि पर आवेदक सुनिल मरांडी का दावा सही नहीं पाया गया है।

अपर समाहर्त्ता, दुमका द्वारा उक्त भूमि पर पैट्रोल पम्प निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता से मन्तव्य की मांग की गई थी। सरकारी अधिवक्ता द्वारा

(12)

समर्पित मन्तव्य में उल्लेख है कि "सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान की धारा 20 के अन्तर्गत जमींन की खरीद बिक्री, मोरगेज इत्यादि पर पूर्ण रोक है किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जमाबन्दी रैयत अपने परिवार के लिये कृषि में जुड़े कार्य हेतु जमाबन्दी जमींन पर कच्चा या पक्का मकान का निर्माण कर सकता है। उक्त संदर्भ में रैयत साझेदारी के आधार पर जनहित एवं क्षेत्र विकास के लिये पेट्रोल पम्प स्थापित कर भूमि का उपयोग कर सकते है।"

सरकारी अधिवक्ता के उक्त मन्तव्य से स्पष्ट है कि आवेदन द्वारा विपक्षियों पर लगाया गया अरोप सही प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

NOTED